Section 18 : Transitional arrangements for input tax credit

(1) A registered person, other than a person opting to pay tax under section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of the amount of Value Added Tax and Entry Tax, if any, carried forward in the return relating to the period ending with the day immediately preceding the appointed day, furnished by him under the existing law, not later than ninety days after the said day, in such manner as may be prescribed:

Provided that the registered person shall not be allowed to take credit in the following circumstances, namely:-

(i) where the said amount of credit is not admissible as input tax credit under this Act; or

(ii) where he has not furnished all the returns required under the existing law for the period of six months immediately preceding the appointed day; or

(iii) where the said amount of credit relates to goods sold under such exemption notifications as are notified by the Government:

Provided further that so much of the said credit as is attributable to any claim related to section 3, sub-section (3) of section 5, section 6 or section 6A or sub-section (8) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956) that is not substantiated in the manner, and within the period, prescribed in rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957 shall not be eligible to be credited to the electronic credit ledger:

Provided also that an amount equivalent to the credit specified in the second proviso shall be refunded under the existing law when the said claims are substantiated in the manner prescribed in rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957.

(2) A registered person, other than a person opting to pay tax under section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of the unavailed input tax credit in respect of capital goods, not carried forward in a return, furnished under the existing law by him, for the period ending with the day immediately preceding the appointed day in such manner as may be prescribed:

Provided that the registered person shall not be allowed to take credit unless the said credit was admissible as input tax credit under the existing law and is also admissible as input tax credit under this Act.

Explanation-For the purposes of this section, the expression ''unavailed input tax credit'' means the amount that remains after subtracting the amount of input tax credit already availed in respect of capital goods by the taxable person under the existing law from the aggregate amount of input tax credit to which the said person was entitled in respect of the said capital goods under the existing law.

(3) A registered person, who was not liable to be registered under the existing law or who was engaged in the sale of exempted goods or tax free goods or goods which have suffered tax at first point of their sale in the Union

territory and the subsequent sales of which are not subject to tax in the Union territory under the existing law but which are liable to tax under this Act or where the person was entitled to the credit of input tax at the time of sale of goods, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of the value added tax and entry tax, if any, in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the appointed day subject to the following conditions, namely:-

(i) such inputs or goods are used or intended to be used for making taxable supplies under this Act;

(ii) the said registered person is eligible for input tax credit on such inputs under this Act;

(iii) the said registered person is in possession of invoice or other prescribed documents evidencing payment of tax under the existing law in respect of such inputs; and

(iv) such invoices or other prescribed documents were issued not earlier than twelve months immediately preceding the appointed day:

Provided that where a registered person, other than a manufacturer or a supplier of services, is not in possession of an invoice or any other documents evidencing payment of tax in respect of inputs, then, such registered person shall, subject to such conditions, limitations and safeguards as may be prescribed, including that the said taxable person shall pass on the benefit of such credit by way of reduced prices to the recipient, be allowed to take credit at such rate and in such manner as may be prescribed.

(4) A registered person, who was engaged in the sale of taxable goods as well as exempted goods or tax free goods under the existing law but which are liable to tax under this Act, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger,-

(a) the amount of credit of the value added tax and entry tax, if any, carried forward in a return furnished under the existing law by him in accordance with the provisions of sub-section (1); and

(b) the amount of credit of the value added tax and entry tax, if any, in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the appointed day, relating to such exempted goods or tax free goods in accordance with the provisions of sub-section (3).

(5) A registered person shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of value added tax and entry tax, if any, in respect of inputs received on or after the appointed day but the tax in respect of which has been paid by the supplier under the existing law, subject to the condition that the invoice or any other tax paying document of the same was recorded in the books of account of such person within a period of thirty days from the appointed day:

Provided that the period of thirty days may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding thirty days:

Provided further that the said registered person shall furnish a statement, in such manner as may be prescribed, in respect of credit that has been taken under this sub-section.

(6) A registered person, who was either paying tax at a fixed rate or paying a fixed amount in lieu of the tax payable under the existing law shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of value added tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the appointed day subject to the following conditions, namely:-

- **(i)** such inputs or goods are used or intended to be used for making taxable supplies under this Act;
- **(ii)** the said registered person is not paying tax under section 10 of the Central Goods and Services Tax Act;
- **(iii)** the said registered person is eligible for input tax credit on such inputs under this Act;
- **(iv)** the said registered person is in possession of invoice or other prescribed documents evidencing payment of tax under the existing law in respect of inputs; and
- **(v)** such invoices or other prescribed documents were issued not earlier than twelve months immediately preceding the appointed day.

(7) The amount of credit under sub-sections (3), (4) and (6) shall be calculated in such manner as may be prescribed.

धारा 18 : इनपुट कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं

(1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी रीति में जो विहित की जाए नियत दिन से ठीक पहले दिन को समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन उसके द्वारा दी गई विवरणी में अग्रनीत मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हों, की रकम का, अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में, उक्त दिन को छोड़कर नब्बे दिन के अपश्चात्, प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्यय लेने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, अर्थात् :–

(i) जहां प्रत्यय की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है; या

(ii) जहां उसने विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन से ठीक पहले की छह मास की अवधि के लिए अपेक्षित सभी विवरणियां नहीं दी है; या

(iii) जहां प्रत्यय की उक्त रकम, सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी छूट अधिसूचनाओं के अधीन विक्रय किए गए माल के संबंध में है :

परन्तु यह और कि उक्त प्रत्यय की उतनी रकम, जिसे केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3), धारा 6 या धारा 6क या धारा 8 की उपधारा (8) से सम्बन्धित कोई ऐसा दावा माना जा सकता है, जिसे केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति से और अवधि के भीतर सिद्ध नहीं किया गया, इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में जमा करने योग्य नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि जब उक्त दावों को केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति में सिद्ध कर दिया जाता है तो विद्यमान विधि के अधीन दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की समतुल्य रकम का प्रतिदाय तब किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, नियत दिन से ठीक पहले दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन उसके द्वारा दी गई किसी विवरणी में अग्रनीत न किए गए पूंजी माल के संबंध में अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय का अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में प्रत्यय लेने हकदार होगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रत्यय लेने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उक्त प्रत्यय विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं हो और इस अधिनियम के अधीन भी इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय न हो।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय" पद से वह रकम अभिप्रेत है जो विद्यमान विधि के अधीन कराधेय व्यक्ति द्वारा पूंजी माल के संबंध में, ऐसे इनपुट कर प्रत्यय की कुल रकम में से, जिसके प्रति उक्त व्यक्ति, विद्यमान विधि के अधीन उक्त पूंजी माल संबंध में हकदार था, पहले उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम को घटाने के पश्चात् बाकी बची हो।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी नहीं था, या जो छूटप्राप्त माल या कर मुक्त माल या ऐसे माल के विक्रय में लगा हुआ था, जिन पर विद्यमान विधि के अधीन संघ राज्यक्षेत्र में उनके विक्रय के पहले स्थान पर कर का भुगतान कर दिया है और जिनका पश्चात्वर्ती विक्रय संघ राज्यक्षेत्र में कर के अधीन नहीं है किन्तु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन हैं या जहां व्यक्ति माल के विक्रय के समय इनपुट कर प्रत्यय के प्रत्यय का हकदार था, वहां निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, नियत दिन को, स्टाक में धारित इनपुट के संबंध में और स्टाक में धारित अर्धनिर्मित माल या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में मूल्य वर्धित कर और प्रवेश

कर, यदि कोई हो, का अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खातों में प्रत्यय लेने का हकदार होगा, अर्थात् :

(i) ऐसे इनपुट या माल का उपयोग, इस अधिनियम के अधीन कराधेय प्रदाय करने के लिए किया गया है किया जाना आशयित है;

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय का पात्र हो;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कब्जे में ऐसे इनपुटों के संबंध में ऐसे बीजक या अन्य विहित दस्तावेज है, जो विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य हों;

(iv) ऐसे बीजक या अन्य विहित दस्तावेज नियत दिन से ठीक पहले के बारह मास से पहले जारी नहीं किए गए हों :

परन्तु यदि किसी विनिर्माता या सेवाओं के प्रदाता से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कब्जे में इनपुटों के संबंध में कर संदाय के साक्ष्य का कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज नहीं है तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, इस बात के साथ–साथ कि प्राप्तिकर्ता को घटी कीमत के रूप में ऐसे प्रत्यय का फायदा संक्रानत करेगा, ऐसी शर्तों, सीमाओं और रक्षोपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, ऐसी दर पर और रीति में जो विहित की जाए, प्रत्यय अनुज्ञात होगा।

(4) कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन ऐसे कराधेय माल के साथ–साथ छूट प्राप्त माल या कर मुक्त माल के विक्रय में लगा हुआ था किन्तु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व के अधीन है, अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में–

(क) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी में अग्रनीत मूल्य वर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हों, के प्रत्यय की रकम; और

(ख) उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार दिन को स्टाक में धारित इनपुट और स्टाक में धारित अर्धनिर्मित या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में मूल्य वर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हों, के प्रत्यय की रकम,

लेने का हकदार होगा।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे इनपुट के संबंध में, जो नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त हुआ है किन्तु जिसके संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर का संदाय प्रदायकर्ता द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके बीजक या किसी अन्य कर संदाय दस्तावेज को नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा पुस्तक में अभिलिखित कर दिया था, मूल्य वर्धित कर और प्रवेश कर का, यदि कोई हो, अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परन्तु आयुक्त द्वारा तीस दिन की अवधि को, दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रत्यय के संबंध में, जो इस उपधारा के अधीन लिया गया है ऐसी रीति में जो विहित की जाए, एक विवरणी देगा।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय कर रहा था या देय कर के बदले में नियत रकम का संदाय कर रहा था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को स्टाक में धारित इनपुट और स्टाक में धारित अर्धनिर्मित या तैयार माल में अन्तर्विष्ट इनपुट के संबंध में मूल्य वर्धित कर का प्रत्यय अपने इलेक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात् :

(i) ऐसे इनपुट या माल का उपयोग, इस अधिनियम के अधीन कराधेय प्रदाय करने के लिए किया गया है या किया जाना आशयित है;

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का संदाय न किया हो;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन ऐसे इनपुट पर इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र हो;

(iv) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कब्जे में बीजक या अन्य विहित दस्तावेज हैं जो विद्यमान विधि के अधीन ऐसे इनपुटों के संबंध में कर के संदाय के साक्ष्य हों; और

(v) ऐसे बीजक और अन्य विहित दस्तावेज नियत तारीख के ठीक पहले के बारह मास से पहले जारी नहीं किए गए थे।

(7) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (6) के अधीन जमा की रकम की संगणना, ऐसी रीति से की जाएगी, जो विहित की जाए।